IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारतीय डाक प्रणाली की ऐतिहासिक विवेचना

डॉ. अल्पना दुभाषे[1], अभिलाषा कुमारी सिंह[2]

(1) प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष इतिहास विभाग, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय माधव महाविद्यालय, उज्जैन (2) शोधार्थी (नेट – जे.आर.एफ.)

सारांश (Abstract) :–

इस शोध पत्र में भारत में डाक सेवाओं के इतिहास का क्रमशः विकास एवं अध्ययन है। इसमें डाक सेवाओं की उत्पत्ति, विकास और वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। यह अध्ययन डाक सेवाओं के ऐतिहासिक पहलू, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव और आधुनिक समय में उनके परिवर्तन और विकास पर आधारित है।

डाक सेवाएँ देश की संचार व्यवस्था का अभिन्न अंग होती है। भारत में डाक सेवाओं का इतिहास प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक का है। भारतीय डाक प्रणाली बहुआयामी विस्तार वाली यात्रा की देन है। दूर–दराज के स्थानों से संवाद करने की आवश्यकता ने संचार के नए तरीके खोजे हैं। पाषाणकाल से ही मानव किसी न किसी माध्यम से अपने संदेश एक–दूसरे तक पहुँचाता रहा है। कभी आग की रोशनी के माध्यम से हो तो कभी गुफा की दीवारों पर चित्र बनाकर।

भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही संचार का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, जिसमें डाक सेवाएँ भी शामिल थी। यह शोध पत्र इस बात का अन्वेषण करने का प्रयास है कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक संदेश प्रणाली कैसे कार्य करती आ रही हैं और इसके सामाजिक और प्रशासनिक प्रभाव क्या है।

मुख्य शब्द (Keywords) :– डाक, डाक–सेवाएँ, संचार, संप्रेषण–साधन, नेटवर्क, संप्रेषण, समाचार, हरकारा, संदेशवाहक, खबरनाविस, डाकचौकियाँ, मीनार।

शोध पद्धति (Methodology) :– भारतीय डाक प्रणाली पर किया जाने वाला यह शोध ऐतिहासिक और व्याख्यात्मक प्रकृति का होगा, जिसमें इसके विकास, कार्यप्रणाली और प्रभावों का विश्लेषण किया जाएगा। शोध का मुख्य उद्देश्य भारतीय डाक सेवाओं के विभिन्न कालों में हुए परिवर्तनों को समझना और उनके ऐतिहासिक, सामाजिक एवं आर्थिक प्रभावों की विवेचना करना है। इसके लिए गुणात्मक अनुसंधान पद्धति अपनाई जाएगी, जिसमें प्राचीन स्रोतों से लेकर आधुनिक अभिलेखों तक का अध्ययन किया जाएगा। डेटा संग्रहण के लिए प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों का सहारा लिया जाएगा। प्राथमिक स्रोतों में ऐतिहासिक अभिलेख, शाही फरमान, ब्रिटिश शासनकाल की रिपोर्ट और भारतीय डाक विभाग के आधिकारिक दस्तावेज शामिल होंगे। द्वितीयक स्रोतों में इतिहास पर आधारित पुस्तकों, विशेषज्ञों के शोध–पत्रों और समकालीन लेखों का उपयोग किया जाएगा। राष्ट्रीय अभिलेखागार, संग्रहालय और डाक संग्रहालय जैसे स्थानों से इन स्रोतों को प्राप्त किया जाएगा।

शोध प्रक्रिया के अन्तर्गत विभिन्न ऐतिहासिक कालखण्डों में डाक सेवाओं के विकास का अध्ययन किया जाएगा। प्राचीन काल में मौर्य, गुप्त और मुगल शासनकाल की संदेश प्रणाली पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। मध्यकालीन भारत में डाक सेवाओं के उपयोग और उनके सीमित दायरे की समीक्षा की जाएगी। ब्रिटिश काल में डाक सेवाओं के संस्थानीकरण, डाक टिकटों की शुरूआत और राष्ट्रीय डाक नेटवर्क के निर्माण का गहन विश्लेषण किया जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद डाक प्रणाली में हुए परिवर्तनों

और समकालीन चुनौतियों जैसे निजी कूरियर सेवाओं से प्रतिस्पर्धा, वित्तीय संकट और डिजिटल युग में इन सेवाओं के अनुकूलन पर चर्चा की जाएगी।

ऐतिहासिक विकास (Historical Development) :–

प्राचीन भारत में डाक सेवाओं का इतिहास अत्यन्त समृद्ध और विविधतापूर्ण रहा। ऋग्वेद संहिता में संदेशवाहकों द्वारा संदेश भेजने का उल्लेख मिलता है।[1] वैदिक कल्पसूत्रों में शासकों द्वारा प्रशिक्षित संदेशवाहकों की नियुक्ति का उल्लेख है। पाणिनि ने भी अपनी रचनाओं में ''जंघकार'' शब्द का उल्लेख किया है, जिसका कार्य संदेश पहुँचाना था।[2]

पाटलिपुत्र (वर्तमान पटना) से खुफिया और गोपनीय रिपोर्टों को सम्राट तक विशेष तरीकों से पहुँचाया जाता था।[3] सम्राट अशोक ने अपने चौथे शिलालेख में प्रतिवेदकों का उल्लेख किया है, जिनका कार्य राज्य में हो रहे कार्यों और जनता के आचरण की खबर लाकर सम्राट को गुप्त रूप से देना था।[4] गुप्तकाल (240–550 ईस्वी) में, श्रेणिकों के माध्यम से वाणिज्यिक निगमों और संघों ने अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप एक संचार प्रणाली का विकास किया। वे व्यापारियों और निजी व्यक्तियों के महत्वपूर्ण पत्राचार और संदेश भी ले जाया करते थे। वे मुख्यतः मालवाहक ही थे।[5] राष्ट्रकूट राजा सरकारी डाक को तेज गति से भेजने के लिए सांडों का प्रयोग भी करते थे।[6]

कुतुबुद्दीन ऐबक ने व्यवस्था को चुस्त–दुरूस्त बनाने के लिए ''खबरनवीस'' नामक अधिकारी की नियुक्ति की।[7] सुल्तान बलबन ने डाक व्यवस्था की त्रुटियों को दूर करने एवं अधिक सुगम बनाने का प्रयास किया। मंगोल आक्रमणों को रोकने और साम्राज्य विस्तार के लिए डाक प्रणाली की अधिक आवश्यकता महसूस की जाने लगी। बेहतर डाक व्यवस्था के कारण ही कुतलुग ख्वाजा ने सिंध नदी पार की इसके पूर्व ही अलाउद्दीन खिलजी ने मुकाबले की पूरी तैयारी कर रखी थी।[8]

डाक चौकी पर पहला दर्ज इतिहास जियाउद्दीन बरनी नामक यात्री से मिलता है, जिसने उल्लेख किया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 की शुरूआत में ही अपनी सेना की खबरों के साथ–साथ नागरिक डाक के नियमित संप्रेषण के लिए घुड़सवार और पैदल यात्रियों की सेवा का आयोजन किया था। उन्होंने एक डाक विभाग, महाकमा–ए–बरीद की स्थापना की और इसे दो डाक अधिकारियों, मलिक बरीद–ए–ममालिक और उनके डिप्टी नलब बरीद–ए–ममालिक की देखरेख में रखा, जो अपने विशाल साम्राज्य और पूरे सैन्य मार्गों पर घोड़ों और पैदल यात्रियों के माध्यम से संचार बनाए रखने के लिए बरीद और जासूसी चौकियों के लिए थे।[9]

इब्न बतूता, जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया, ने अपनी पुस्तक ''रेहला'' में उल्लेख किया है कि हर सात कोस की दूरी पर मीनारें बनी होती थी। हर तीसरे मील की दूरी पर गाँव और हर गाँव के बाहरी इलाके में मीनार बनाई जाती थी। इसके निकट ही सराय और सैनिक चौकियाँ भी होती थी, जहाँ हरकारे और घुड़सवार दिन–रात डाक ले जाने के लिए तैयार रहते थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिद्वार से दौलताबाद तक नियमित रूप से गंगाजल पहुँचाने की व्यवस्था भी की थी।[10]

बाबर के समय में ''वाकियानवीस'' एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पद बन गया था। शेरशाह सूरी (1540–1545 ई.) ने संचार प्रणाली को फिर से संगठित और विकसित किया। उन्होंने घुड़सवार डाक का भी इस्तेमाल किया। शाह ने पेशावर से सुनारगाँव (वर्तमान बांग्लादेश में ढाका के पास) तक ग्रैंड ट्रंक रोड और आगरा से बुरहानपुर और चित्तौड़ और लाहौर से मुल्तान तक अन्य सड़के बनवाई। उन्होंने इन सड़कों के किनारे एक–दूसरे से दो मील की दूरी पर 1700 सराये (राजमार्ग विश्राम गृह) बनवाए जिन्हें ''कारवां–सराये'' कहा जाता था। प्रत्येक विश्राम गृह में समाचार भेजने के लिए दो घोड़े तैयार रखे जाते थे। इसका उद्देश्य दोनों तरफ से समाचार पहुँचाना था।[11]

बादशाह अकबर ने मुख्य सड़कों पर दस मील की दूरी पर डाक घर बनवाए थे और हर पड़ाव पर तेज रफ़्तार तुर्की घोड़े रखे गए थे। इनमें से एक डाक घर आज भी आगरा और सिकंदरा के बीच सड़क पर देखा जा सकता है।[12] इसके साथ ही उसने इन सड़कों पर ''मेओरा (मेहरास)'' या पैदल सैनिक का एक समूह तैनात किया।[13] घेराबंदी के दौरान कबूतरों द्वारा पत्रों का आदान–प्रदान किया जाता था।

मध्यकालीन भारत में डाक व्यवस्था मुख्य रूप से शाही उपयोग तक सीमित थी और आम जनता के लिए सुलभ नहीं थी। यह प्रणाली मुख्य रूप से सुल्तानों और शासकों के प्रशासनिक और सैन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विकसित की गई थी। कूरियर मार्ग का उपयोग शाही आदेशों, सैन्य निर्देशों और राज्य प्रशासन से जुड़े आधिकारिक पत्र–व्यवहार के आदान–प्रदान के लिए किया जाता था। आम जनता के लिए इसका उपयोग न होना उस समय की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को दर्शाता है। चूंकि

अधिकांश लोग अशिक्षित थे और व्यापार व वाणिज्य सीमित और स्थानीय स्तर तक सीमित था, डाक व्यवस्था का व्यापक उपयोग संभव नहीं था। इसके अलावा, साक्षर व्यक्तियों की संख्या बहुत कम थी और सुल्तानों को उन पर विद्रोह या शासक विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का संदेह रहता था। ऐसे लोगों पर कठोर निगरानी रखी जाती थी, जिससे डाक सेवा का उपयोग और भी सीमित हो गया। यह डाक व्यवस्था शासकों के हितों और उनके साम्राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक साधन बन गई। समय के साथ, यह प्रणाली एक गुप्त सेवा के रूप में विकसित हुई, जिसमें डाक अधिकारी खुफिया जानकारी जुटाने और शासकों को सूचना पहुँचाने वाले जासूसों की भूमिका निभाते थे। इस प्रकार डाक सेवा केवल प्रशासनिक और सामरिक उद्देश्यों की पूर्ति करती थी और जनता के लाभ के लिए इसका उपयोग नहीं किया गया।[14]

ब्रिटिश शासन के दौरान, भारत में डाक सेवाओं में प्रगतिशील सुधार किए गए। 18वीं शताब्दी की शुरूआत में जब अंग्रेजों ने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना शुरू किया, उनके पास कोई संगठित संचार प्रणाली मौजूद नहीं थी। उस समय सौ मील से अधिक की दूरी पर पत्र भेजना एक बड़ी चुनौती माना जाता था। 1766 में लॉर्ड क्लाइव ने भारत में पहली बार एक नियमित डाक प्रणाली शुरू की। इस व्यवस्था के तहत, विभिन्न मार्गों के जमींदारों और भूमि मालिकों को पत्रों को एक स्थान से दूसरे तक पहुँचाने के लिए धावकों की आपूर्ति करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इन धावकों की सहायता से डाक का आदान–प्रदान किया जाता था। इस सेवा के बदले में ज़मींदारों के किराए में छूट दी जाती थी, जो उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए धावकों की संख्या के अनुपात में निर्धारित की जाती थी।[15] यह प्रणाली ब्रिटिश शासन की शुरूआती डाक व्यवस्था की आधारशिला बनी और आगे चलकर भारतीय डाक सेवा के विकास में सहायक सिद्ध हुई।

1854 में, लॉर्ड डलहौजी ने डाक सेवाओं को केन्द्रीकृत करने का प्रस्ताव रखा। इसी समय से डाक टिकटों की शुरूआत हुई और डाक सेवाओं की प्रणाली को व्यवस्थित किया गया। इस अवधि में डाक सेवाओं को एक राष्ट्रीय नेटवर्क के रूप में विकसित किया गया, जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने की महत्वपूर्ण कड़ी था। वर्ष 1688 में पहला डाकघर मुम्बई में स्थापित हुआ, तत्पश्चात् मद्रास में भी डाकघर खोले गए। 31 मार्च 1774 को पोस्ट मास्टर जनरल के अधीन कोलकाता जी.पी.ओ. की स्थापना हुई। कोलकाता जी.पी.ओ. के क्षेत्राधिकार में 1179 मील का क्षेत्र आता था। चार डिवीजन बनाए गए थे, जिनमें 417 हरकारे, 139 मशालची और बहुत सी तादाद में ढोल बजाने वाले स्टॉफ पोस्ट मास्टर जनरल के अधीन थे। वर्ष 1783 में मद्रास जी.पी.ओ. भी स्थापित हुआ और यह तय हुआ कि उसके आधीन सम्पूर्ण देश के डाकघर रहेंगे।

1 अक्टूबर 1854 से अखिल भारतीय स्तर पर एक ही दर पर पत्रों का आदान–प्रदान प्रारंभ हो गया। इस समय लगभग 701 डाकघर, लगभग 24,500 अधिकारी/कर्मचारी नियुक्त थे, जो पूरे वर्ष में लगभग 25 लाख पत्र सम्पूर्ण देशभर में पहुँचाते थे। वर्ष 1854 तक विभिन्न राजवाड़े स्वयं के फोटो वाले डाक टिकट अपने–अपने अधिकार क्षेत्र में चला रहे थे। वर्ष 1908 के आस–पास 635 राज्यों ने केन्द्रीय डाक प्रणाली अपनाई, जिनमें 17 राज्य–मुख्यतः हैदराबाद, जयपुर, त्रावणकोर और ग्वालियर आदि नई व्यवस्था के अन्तर्गत शामिल नहीं हुए। 1921–22 में भारतीय व्यवस्था के अन्तर्गत अन्य रियासतों का विलिनीकरण भी हुआ, जो एक महत्वपूर्ण कदम था।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने डाक सेवाओं को पुनर्गठित करने के लिए कई सुधारात्मक उपाय किए। 1950 में भारतीय डाक सेवा को एक केन्द्रीय सेवा के रूप में स्थापित किया गया। इस समय, डाक सेवाओं की व्यापकता और कवरेज को बढ़ाने के लिए कई योजनाएँ बनाई गई, जिनमें ग्रामीण डाक सेवाओं की विशेष योजनाएँ शामिल थी। आजादी के पश्चात् वी.टी. कृष्णाचारी की अध्यक्षता में 'भारतीय राज्य वित्त जाँच समिति' का गठन हुआ। वर्ष 1953 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ''हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या तेज घोड़े रहे हैं, तत्पश्चात् पहिए आए, परन्तु रेलवे और डाक तार से भारी बदलाव आया है। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुँचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और रडार ने दुनिया बदल दी है।''[16]

पूर्व में भारतीय डाक विभाग का आदर्श वाक्य था – ''सर्विस बिफोन सेल्फ'' (सेवा पहले)। किन्तु आजादी के पश्चात् अप्रैल 1959 से ''अहर्निश सेवा माहे'' (दिन–रात सेवा करते हैं) डाक व्यवस्था का आदर्श वाक्य बन गया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने भारतीय डाक के 150वें शुभारंभ के अवसर पर 2004 में टिप्पणी की थी, ''भारतीय डाक की शक्ति के तीन स्तम्भ हैं – इस संस्था पर लोगों का विश्वास, नेटवर्क और मानव संसाधन।''

आधुनिक समय में भी डाक सेवाओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। निजी कूरियर सेवाओं के प्रतिस्पर्धा, वित्तीय संकट और परिवहन नेटवर्क की समस्याएँ प्रमुख मुद्दे हैं। इसके अलावा, वैश्विक स्तर पर डाक सेवाओं में सुधार की दिशा में कई नीतिगत बदलाव की आवश्यकता महसूस की गई है। 1990 के दशक से, भारत में डाक सेवाओं में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। कम्प्यूटरीकरण, डिजिटल संचार और इंटरनेट ने डाक सेवाओं की कार्यप्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव लाये है।

निष्कर्ष (Conclusion) :–

इस शोधपत्र ने भारतीय डाक सेवा के इतिहास, उनकी चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की है। इस प्रकार भारतीय डाक प्रणाली रोचक एवं ऐतिहासिक तथ्यों को अपने में समेटे हुये भारतीय डाक का स्वर्णिम पृष्ट हैं जिस पर अन्वेषण किया जाना शेष हैं। प्रतिवर्ष भारत सरकार द्वारा उम्दा डाक प्रदर्शनियाँ लगाई जाती हैं जिनमें देश–विदेश के लोग एकत्रित हो इन ऐतिहासिक दस्तावेजों का आनन्द उठाते हैं और अपने ज्ञान का विस्तार करते हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची (References)

(1) डाक टिकट की कहानी – सत्यप्रकाश चटर्जी नेशनल बुक ट्रस्ट, 15वीं आवृत्ति, 2006, पृ. 9
(2) इंडिया एस नॉन टू पाणिनि–डॉ. बी.एस. अग्रवाल, पृ. 410
(3) इंडिया पोस्ट थ्रू एजस – ए सागा ऑफ कम्युनिकेशन – एच.नूर. अहमद, इम्प्रिंट अननोन, 1 दिसम्बर 1996, पृ. 5
(4) उक्त 1946, पृ. 6
(5) लोकल गवर्नमेंट इन एनसिएंट इंडिया – राधा कुमुद मुखर्जी, लाइफ स्पान पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन, 2023, पृ. 36
(6) भारतीय डाक – सदियों का सफरनामा–अरविंद कुमार सिंह, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, आठवीं आवृत्ति, 2020, पृ. 4
(7) उक्त, 2020, पृ. 5
(8) ए कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया – मो. हबीब एवं के.ए. निजामी, पीपल पब्लिशिंग हाउस, पृ. 337–38
(9) अर्ली हिस्ट्री एंड ग्रोथ ऑफ पोस्टल सिस्टम ऑफ इंडिया, मोहिनी लाल मजुमदार, रिद्धी इंडिया, कोलकाता, 1995, पृ. 18
(10) उक्त 1996, पृ. 8
(11) उक्त 1996, पृ. 10
(12) दी पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया एण्ड इट्स स्टोरी, जेफरी क्लार्क, जॉन लेन कम्पनी, न्यूयार्क, 1921, पृ. 12
(13) बाबरनाम इन इंग्लिश (मेमोरीज ऑफ़ बाबर) ट्रांसलेटेड – ए.एस. बेवरीज, अल्फा रेडियन पब्लिकेशन, पृ. 445–338
(14) उक्त, 1995, पृ. 16
(15) उक्त, 1921, पृ. 12
(16) उक्त, 2020, पृ. 7